International Journal for Multidisciplinary Research
Plagiarism & Intellectual Property Rights in Digital Age (PIPRDA-2023)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

बौद्धिक सम्पदा और संरक्षण हेतु सरकार के प्रयास

रमाकांत अठया
ग्रंथपाल

सारांशः

वर्तमान युग वैज्ञानिक एवं तकनीकी खोजो एवं सुविधाओं का युग है। इस युग में कई लोग अपनी बुद्धि एवं विवेक का उपयोग दूसरे के द्वारा की गई खोजों एवं आविष्कारों का दुरूपयोग करने में भी लगाते है। जिससे मूल व्यक्ति के अधिकार बाधित होते है एवं उसे आर्थिक हानि भी होती है। इन्हीं कारणों से सरकारों द्वारा कई कानून एवं अधिनियम बनाये जाते है जिससे मूल खोजकर्ता या अविष्कारकर्ता को हानि न पहुँचे एवं लोग अपने मष्तिष्क का उपयोग नई खोजो/अविष्कारो के लिए करने को प्रेरित हो।

प्रस्तावनाः

मानव एक समाजिक प्राणी है मानव अपने उदभव काल से ही अपनी बुद्धि का विकास करने का प्रयास करता रहा है। उसने अपनी सभ्यता के विकास के साथ ही अपने बुद्धि का निरंतर विकास किया है एवं बुद्धि के विकास के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की खोजे आदि की है। इन्ही खोजो के परिणामस्वरूप आज के मनुष्य का जीवन स्तर बहुत ही सुगम हो गया है या कहें कि बौद्धिक विकास/खोजो के कारण आज मानव जाति का जीवन स्वर्ग बन गया है। आज हमारे पास प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं के अलावा हर वह चीज है जिसकी हम कल्पना करते हैं जैसे कि आवागमन के साधन, संचार माध्यम मनोरंजन चिकित्सा सुविधाए आदि।

कहने का अर्थ है कि बौद्धिक विकास के दम पर हमारे समाज ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम प्रकृति प्रदत्त मौत को भी मात देने की क्षमता रखते है अन्य बाते तो गौण है। बौद्धिक विकास के कारण हुऐ वैज्ञानिक आविष्कारों का संरक्षण एवं प्रयोग हमेशा चिंता का विषय रहा है यहीं से बौद्धिक सम्पदा एवं बौद्धिक अधिकारो के सरंक्षण की आवश्यकता महसूस हुई है। किसी एक व्यक्ति के द्वारा की गई खोज या रचना का उपयोग कोई अन्य व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से न कर सकें इसके लिए राष्ट्रीय और अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर कई तरीके के कानून नियम बनाये गये हैं।

बौद्धिक सम्पदा अधिकार क्या हैः

बौद्धिक सम्पदा अधिकार वह अधिकार है जो किसी व्यक्ति, समूह या संस्था के द्वारा की गई खोज के आधार पर उसे प्रदान किया जाता है। इस अधिकार के दायरे में पेटेंट, कॉपीराईट, इन्डस्ट्रीयल डिजाईन आदि का खाका तैयार करना आता हैं। अतः हम कह सकते है कि बौद्धिक सम्पदा अधिकार मनुष्य के दिमाग की वह खोज है जिसमें साहित्य, संगीत, कलाचित्र, पेटेंट आदि शामिल है।

बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के प्रकारः–*1

1. **कॉपीराईट एक्ट 1957 (प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम):–**

यह अधिनियम भारत सरकार द्वारा 1957 में पारित किया गया था। इसका विस्तार सम्पूर्ण भारतवर्ष में है। यह कानून उस तारीख से लागू है जिस दिनांक को भारत सरकार ने अपने आसाधारण प्रकाशन गजट में प्रकाशित किया था, इस अधिकार के अंतर्गत एक अध्यक्ष तथा 2–14 तक सदस्य होते है। अध्यक्ष वही व्यक्ति बन सकता है जो सुप्रीम कोट का पूर्व न्यायाधीश हो या उनके समकक्ष योग्यता रखता हो अध्यक्ष का कार्यकाल पॉच वर्ष का होता है इस अधिनियम के निम्नलिखित अधिकार है–

1. प्रकाशित कृतियों, साहित्य, खौजो आदि को उनके मूल लेखक की अनुमति के बिना छापना, किसी भी रूप में प्रकाशित करने पर सजा का प्रावधान है।ल
2. रायल्टी वसूलने का अधिकार।
3. पुनः प्रकाशन का अधिकार।
4. प्रकाशित रचनाओं को पुनः प्रकाशित करने का आदेश देने का अधिकार, अन्य बहुत से अधिकार भी कॉपीराईट एक्ट को प्राप्त है।

2. **पेटेंट**

पेटेंट एक ऐसा अधिकार है जो किसी व्यक्ति, संस्था को किसी बिल्कुल नई सेवा, तकनीक प्रक्रिया, उत्पाद या डिजाईन के लिये प्रदान किया जाता है ताकि कोई व्यक्ति या संस्था उनकी नकल आदि न कर सकें। यदि पेटेंट धारक के आलावा कोई व्यक्ति या संस्था उसी उत्पाद को बनाती है तो यह गैरकानूनी होगा और पेटेंट धारक ने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी तो पेटेंट का उलंघन करने वाला कानूनी रूप से गुनहगार माना जाता है उसमें मामला न्यायालय जा सकता है एवं ऐसे मामलो में सजा का प्रावधान है, कई व्यक्तियों/संस्थाओं के खिलाफ इस तरह के मामले न्यायालयों में पेटेंट अधिकार के तहत लंबित भी है।

लेकिन कोई व्यक्ति/ संस्था उस उत्पाद को बनाना चाहता है तो मूल पेटेंट धारक की अनुमति से अर्थात पेटेंट धारक को कुछ धनराशि रायल्टी के रूप में देकर यह कार्य कर सकता है।

3. **ट्रेडमार्क–**

ट्रेडमार्क को हम इस प्रकार समझ सकते है कि एक ऐसा चिन्ह जिससे किसी एक उद्योग की वस्तुओं और सेवाओं को दूसरे उद्योग की वस्तुओं और सेवाओं से अलग किया जा सके ट्रेडमार्क कहलाता है। ट्रेडमार्क एक शब्द या शब्दों का समूह, अक्षरों या संख्याओं का समूह के रूप में हो सकता है इसे चित्र, चिन्ह, त्रिविमीय चिन्ह जैसे संगीतमय ध्वनी या विशिष्ट प्रकार के रंग के रूप में हो सकता है इसके पश्चात विभिन्न प्रकार के उद्योगो की आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार ने 1999 में ट्रेडमार्क अधिनियम बनाया जिससे किसी भी उद्योग के पंजीकृत ट्रेडमार्क को सुरक्षित किया गया है। इस अधिनियम के तहत एक उद्योग का एक बार ट्रेडमार्क पंजीकृत हो जाने के पश्चात केवल वहीं उद्योग अपने ट्रेडमार्क का उपयोग कर सकता है अन्य लोगो को इस ट्रेडमार्क का उपयोग करना गैरकानूनी हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति, उद्योग ऐसा करता है तो पहले से पंजीकृत उद्योग, उपक्रम वाला व्यक्ति अन्य के खिलाफ संबंधित न्यायालय में वाद प्रतिस्थापित कर सकता है। ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 में ट्रेडमार्क की सुरक्षा हेतु पारित किया गया था इसमें बहुत सारी धाराओं को प्रावधान हैं।

4. **भौगोलिक संकेत**

भौगोलिक संकेत ऐसे संकेत है जिसका उपयोग उन उत्पादों पर किया जाता है जिनकी एक विशिष्टि भौगोलिक उत्पत्ति होती है। भौगोलिक संकेत उस निश्चित भूभाग के उत्पादों को बनाने वाले उद्योगो के लिए बौद्धिक सम्पदा मानी जा सकती है। एक भौगोलिक संकेत किसी विशेष/क्षैत्र/राज्य/देश के उत्पाद निर्माता या व्यावसायियों के समूह को अच्छी गुणवत्ता के प्रति औद्योगिक प्राकृतिक वस्तुओं को बनाने के लिए दिया जाता है। जी. आई. टैग भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और सरंक्षण) एक्ट 1999 के अनुसार जारी किये जाते हैं।

5. **औद्योगिक डिजाईन**

भारत देश में औद्योगिक डिजाईनों का पंजीकरण और सरंक्षण अधिनियम 2000 में पारित किया गया है। इस अधिनियम में समय–समय पर कई संशोधन किये गये है। अंतिम बार संशोधन 2014 में किया गया है। औद्योगिक डिजाईन कम्पनी की वस्तुओं के नये आकार, विन्यास, सतह पेटर्न, सजावट और उन लेखो पर लागू लाईनो या रंगो की सरंचना की डिजाईन अधिनियम 2000 के प्रावधानों के तहत निर्माण के लैख और किसी भी पदार्थ से संबंधित पंजीकरण के माध्यम से औद्योगिक डिजाईन के सरंक्षण और रख रखाव के दायरे के लिए प्रदान किया गया है। भारत में इसका कार्यालय कोलकाता में स्थापित है जिसे बौद्धिक सम्पदा कार्यालय कहते हैं।*2

''राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा जागरूकता मिशन (NIPAM) ''

इस मिशन का उद्देश्य देश के 10 लाख से भी अधिक छात्रों को बौद्धिक सम्पदा और उसके अधिकारों के बारे में जागरूक करना है। साथ ही स्कूल एवं विश्वविद्यालय के छात्रो को नवाचार के लिये प्रेरित करना है इस कार्यक्रम को बौद्धिक सम्पदा कार्यालय, पेटेंट डिजाईन और व्यापार चिन्ह महानियंत्रक कार्यालय द्वारा संचालित किया जा रहा है।

डिजिटल युग में ऑनलाईन साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाले उपकरण :

प्रारंभ से ही साहित्यिक चोरी एक बहुत बड़ी समस्या रहीं है। किसी दूसरे के साहित्य को बिना उचित उद्धरण के अपने नाम से लिखना एवं प्रकाशित करवाना बहुत बड़ी समस्या है। परन्तु आज साहित्यिक चोरी की जॉच के लिए उपकरण उपलब्ध है। जैसे टर्निटिन, उरकुंड थेन्टीकेट आदि। इन साफ्टवेयर उपकरणों के द्वारा साहित्यिक चोरी की रोकथाम आसान हो गई है। इन उपकरणों में साहित्य अपलोड करके लाईन वाय लाईन या फुल टेक्स्ट साहित्य चैक करने की सुविधा है।

निष्कर्ष:

भारत में बौद्धिक सम्पदा आधिकार संरक्षण के लिये और अधिक जागरूकता की एवं कानून बनाने की आवश्यकता है। बौद्धिक सम्पदा अधिकार को गंभीरता से लागू करने के लिए सरकार का सीधा हस्तक्षेप जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की औद्योगिक विकास संस्था ने अपने एक अध्ययन में निष्कर्ष निकाला है कि जिन देशों की बौद्धिक सम्पदा सुरक्षित हाथों मे है। वहॉ का आर्थिक विकास/जी.डी.पी. बड़ा हुआ है। वैश्विक बौद्धिक सम्पदा सूचकांक 2020 में भारत 38.46 प्रतिशत के स्कोर के साथ 53 देशों की सूची में 40 वे स्थान पर है जो कि एक चिंता का विषय है। एवं बौद्धिक सम्पदा संरक्षण कानूनों अधिनियमों को गंभीरता पूर्वक लागू करने की और इगित करता हैं। अंत में इन कानूनों एवं अधिनियमों की मदद से कोई भी देश अपनी बौद्धिक सम्पदा को संरक्षित कर सकते है।*3

संदर्भ

1. हिंदीज्ञानकोश.कोम।
2. ipindia.gov.in
3. drishtiias.com